राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग

32

क्रमांकः - प.3 (144) नविति / 3 / 2011

P

1

9

1

0

1

 \bigcirc

0

0

st. Vscap pay D. Mjane Hill Propos a 2011, doo

जयपुर, दिनाकः

E9-SEP 2011,

आदेश

राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि का आवासीय वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटन, नियमन रूपान्तरण) नियम 1981 के अन्तर्भत पारित रूपान्तरण आदेश से प्रमावित भूखण्डों के पट्टे जारी नहीं होने संबंधित समस्या राज्य सरकार के ध्यान में लाई गयी है। चूंकि उक्त भूमियां नगरीयकरण सीमा में स्थित होने तथा ऐसे प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी (1) के दिनांक 17.6.99 से प्रभावी होने के पूर्व के होने के कारण इन प्रकरणों का भी निस्तारण करते हुए पट्टे उक्त धारा 90बी (1) के अन्तर्भत जारी करना अपेक्षित है।

यतः ऐरो प्रकरणों के निरतारग हेतु पूर्व में समय—समय पर ज़ारें! आदेश परिपत्रों की निरन्तरता में राज्य सरकार, राजस्थान न न लेका अधिनियम, 2009 की धारा 71 सपठित धारा 337, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 54बी सपठित धारा 90, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की वारा 49 सपठित धारा 85, नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 60 की उपधारा (4) सपठित धारा 104–ए द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रदान करती है :--

- (1) जिस कृषि भूमि का ले-आउट प्लान पूर्व में वरिष्ठ नगर नियोजक से अनुमोदित है तथा अतिरिक्त कलेक्टर (भूमिं ऊपान्तरण) अथवा उपखण्ड अधिकारी (भूमि रुपान्तरण) द्वारा रूपान्तरण आदेश पारित किया जा चुका है, किन्तु जिन भूखण्डों के अट्टे जारी नहीं हुए है, उन भूखण्डों के पट्टे विभागीय परिपन्न प. 5(8)नविवि/3/99-दिनांक 26.05.2000 के बिन्दुसंख्या 11 व परिपन्न प. 5(8)नविवि/3/99 दिनांक 04.10.2002 के बिन्दुसंख्या 4 को दृष्टिगत रखते हुए जारी किये जावे! ऐसी भूमियों पर स्थित भूखण्डों के सन्दर्भ में पुनः नारा 90-बी के अन्तर्गत आदेश पारित करने तथा ले-आउट प्लान समिति से ले-आउट प्लान का अनुमोदन करवाना अपेक्षित नहीं है। उक्त परिपन्न दिनांक 26.5.2000 का बिन्दु संख्या 11 निम्नानुसार है :-
 - 11. जिन प्रकरणों में राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत बने हुए 1981 के रूपान्तरण नियमों के तहत कार्यवाही विचाराधीन है, उन प्रकरणों में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है-
 - (अ) जिन भायलों में 1981 के रूपान्तरण नियमों के तहत रूपान्तरण शुल्क तथा विकास शुल्क पूर्णतः जमा करा दिया है उन मामलों में अब प्रार्थियों से कोई राशि वसूल नही की जानी है।
 - (ब) जिन मामलों में 1981 के रूपान्तरण नियमों के तहत रूपान्तरण सुल्क ही जमा कराया गया है तथा विकास शुल्झ जमा नहीं कराया गया है, ऐसे मामलों में वर्तमान नियमन दर की अन्तर राशि जमा करवायी जाकर नियमन किया जावे।
 - (स) 1981 के भूमि रूपान्तरण नियमों के तहत जो गुकरण प्राधिकृत अधिकारियों के पास विचाराधीन है, जन सभी का रथानान्तण संबधित नगर विकास न्यास/रथानीय निकाय को तत्काल प्रभाव से कर दिया जावे ताकि जनमें यथोचित कार्यवाही की जा सके।

इसी प्रकार परिपत्र दिनांक 4.10.2002 का बिन्दु संख्या 4 निम्नानुसार है :-

1981 के रूपान्तरण नियमों के तहत पूर्व में देय नियमन राशियों के संबंध में--जिन प्रकरणों में राजस्थान भू--राजस्व (शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि का आवासीय एवं वाणिज्यिक तथा जन उपगोगो उद्देश्यों को लिए आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम, 1981 के तहल 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा निवजान राशि पूर्व की दरों पर जमा कराई गई हो, उनमें पूर्व की नियमन दरों के अनुसार शेष राशि की गणनों की जाकर मय 12 प्रतिशत न्याज प्रतिवर्ध दिऱ्या जाकर नियमन किया जायेगा।

जिन पकरणों में 50 प्रतिशत से कम राशि जमा कराई गई जनमें जमा कराई गई चरित र 12 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की लाकर लामां कराई गयी राशि मग ब्याज तथा वर्तमान दरों की राशि का जो अन्तर होगा उसके अनुसार शेष राशि जमा कराई जाकर नियमन किया जायेगा।

राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि का आवास्त्रेय वाणिज्यिक एवं उपयोगी प्रयोजनार्थ आवंटन, नियगन,रूपान्तरण) नियम 1981 के अन्तर्गत जिन प्रकरणों में वरिष्ठ नगर नियोजक से ले-आउट प्लान अनुमोदित है या नहीं है तथा रूपान्तरण आदेश पारित नहीं हुआ है, किन्तु रूपान्तरण राशि जमा हो चुकी है, ऐसे प्रकरणों नें राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की ह --बी (1) के अन्तर्गत आदेश पारित करने की कार्यवाही की जाकर पूर्व में वरिष्ठ नगर नियोजक से अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार परिपन्न प. 5(8)नविवि/3/ 99 दिनांक 26.05.2000 के विन्दु11 व परिपन्न प. 5(3)नविवि/3/ 99 दिनांक 04.10.2002 के बिन्दुसं. 4 को दृष्टिगत रखते हुए पट्टे जारी किये जा सकेंगे। यदि पूर्व में वरिष्ठ नगर नियोजक द्रारा ले-आउट प्लान अनुमोदत नहीं है तो ले-आउट प्लान समिति से उक्त प्लान अनुमोदित करवाना अनेक्षित है।

यदि ऐसे प्रकरणों में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा गृह निर्माण सहकारी समिति के आवंटित सदस्य या अन्य किसी व्यक्ति से इकरारनामे के आधार पर भूखण्ड क्रय किया गया है तो ऐसे प्रकरणों में परिपत्र दिनांक 26.5.2000 के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार एक बार ही हस्तान्तरण शुल्क 10/-रूपचे प्रति वर्गगज लिया जाकर नियमन की कार्यवाही की जावेगी। उक्त बिन्दु संख्या 10 निम्नानुसार है-

"10. जहां किसी गृह निर्माण सहकारी समिति अथवा खातेदार के मूल आवंटी सदस्य अथवा खातेदार क़ेता के द्वारा भूमि का हस्तान्तरण जरिये ड़करारनामा एक से अधिक बार किया जा चुका हो तो इस संबंध में पूर्व में जारी आदेशों में यह प्रावधान किया गया था कि किसी भूखण्ड का जितनी बार भी हस्तान्तरण होगा, उतनी ही बार प्रति हस्तांतरण पर 10/-रूपये प्रतिवर्गगज की दर से हस्तान्तरण राशि दसूल-की जावेगी। इस संबंध में अब जनहित में यह निर्देश दिये जाते है कि नियमन तिथि से पूर्व कितनी भी बार हस्तान्तरण हुआ हो, एक बार ईा हस्तांतरण शुल्क 10/-रूपये प्रति वर्गगज लिया जाकर निमयन की कार्यवाही की जाये।

उक्त आहेण तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

राज्यपाल की जाज्ञा से. (गुरदयाले सिंह संघ्) प्रमुख शासन, सचिव

(2)

(3)